

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या-2057/सी0ई0ओ0-2-23/2-2013 लखनऊ दिनांक: 24 अक्टूबर 2017

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: Updated list of disqualified persons under Section 10A of Representation of the People Act, 1951 - Regarding.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-116/ECI/EEM/CEMS-I /FUN/DISQ/2017 दिनांक 12 अक्टूबर 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10A के अधीन निरर्हित घोषित किये गये व्यक्तियों की अद्यतन सूची (अपडेटेड लिस्ट) भेजी है। निरर्हित व्यक्तियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर Judicial Reference-list of disqualified persons शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है तथा पत्र निर्गत होने के पश्चात यदि उक्त सूची में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसे आयोग की उक्त वेबसाइट पर Judicial Reference-list of disqualified persons supplementary list शीर्षक में देखा जा सकता है।

3- आयोग के उक्त निर्देशों के क्रम में निरर्हित व्यक्तियों की सूची की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के निर्देशों को समस्त रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या-2057(1)/सी0ई0ओ0-2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को उनके पत्र सं0-116/ECI/EEM/CEMS-I /FUN/DISQ/2017 दिनांक 12 अक्टूबर 2017के सन्दर्भ में।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
- 3- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रभारी, कम्प्यूटर कक्ष, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी